अपील सूचना अधिकार संख्या 04/2020 (RCMS 2020/00004) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्ट ऑर्डर नं. 986465) बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए और लिखित बहस पेश की, जो शामिल मिसल की गई और कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 06 बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है और धारा 20(1) व 20(2) के तहत शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना अप्रार्थी को दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2019 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

1. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 01.10.2019 आपके कार्यालय का आरआर नम्बर व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. दिनांक 01.10.2019 से दिनांक 30.10.2019 तक प्रार्थी के पत्र पर जो–जो कार्यवाही की गई, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 19.03.2019 की पालना में महेन्द्र छाबड़ा के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने बाबत सूचना व एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की प्रमाणित प्रति।
5. एफ.आई.आर. दर्ज जिला कलक्टर के आदेश के उपरान्त जिस अधिकारी की जिस धारा में दर्ज नहीं करवाई है उस धारा की सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. श्रीमान् जिला कलक्टर के पत्रांक दिनांक 05.10.2019 की पालना में अवज्ञा करने पर धारा 188 आई.पी.सी. के तहत श्री सुरेन्द्र सिंह, लेखाधिकारी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने की सूचना।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि अति. जिला कलक्टर(प्रशा), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक पंजीयन/2019/1863 दिनांक 13.11.2019 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासगिंक पत्र में लेख है कि आप द्वारा इस कार्यालय में आवेदन पत्र 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 30.10.2019 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें आप द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 6 तक सूचना चाही गयी है। अतः इस हेतु सूचना देने से पूर्व निर्धारित 2/—प्रति पृष्ठ शुल्क से कुल पृष्ठ 05 के हिसाब से 10/— शुल्क आप इस कार्यालय में कार्यदिवस में जमा करवाये जिससे आपको वांछित सूचना भिजवाई जा सके।

-sd-
प्रभारी अधिकारी पंजीयन
एवं अति. जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 13.11.2019 के पत्र से निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में सूचित किया गया है कि वह अपनी 06 बिन्दुओं की सूचनाओं से सम्बन्धित निर्धारित 10 रूपये शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। उक्त राशि अभी तक अपीलार्थी द्वारा राजकोष में जमा नही करवाई गई है। निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रार्थी वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है।

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी से उक्त निर्धारित फीस जमा करवाकर, वांछित देय सूचना उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर